राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग
परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर राजस्थान

क्रमांकः एफ 25 (11) परि/कम्प्यू./2012/60201 जयपुर, दिनांकः 22-10-14

कार्यालय आदेश संख्या 32/2014

परिवहन विभाग में कम्प्यूटराईजेशन प्रोग्राम के सुचारू क्रियान्वयन एवं प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा 7 संभागीय मुख्यालय स्तर पर प्रोग्रामर व सहायक प्रोग्रामर का एक–एक पद स्वीकृत किये गये है, जिनसे संभाग के अन्तर्गत आने वाले समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालयो के कम्प्यूटराईजेशन सम्बंधित कार्यो के क्रियान्वयन, सुपरविजन, मॉनिटरिंग एवं समस्याओ के समाधान का कार्य यथा सम्भव स्थानीय स्तर पर किया जाना अपेक्षित है।

विभिन्न परिवहन कार्यालयो से 'वाहन' एवं 'सारथी' डेटाबेस में करेक्शन के पत्र मुख्यालय भेजे जाते है। जिससे अनावश्यक विलम्ब होता है इस स्थिति मे सुधार करने हेतु निम्न व्यवस्था की जाती हैः–

1. अपर परिवहन आयुक्त जोन के अधीन परिवहन कार्यालयो के कम्प्यूटराईजेशन सम्बंधित कार्यो के क्रियान्वयन, सुपरविजन, मॉनिटरिंग एवं समस्याओ का समाधान किया जायेगा। इस हेतु प्रोग्रामर/सहायक प्रोग्रामर उनके निर्देशानुसार कार्य करेंगे।

2. प्रादेशिक परिवहन कार्यालय में पदस्थापित प्रोग्रामर व सहायक प्रोग्रामर का सेवा सम्बंधी सभी अभिलेख प्रादेशिक परिवहन अधिकारी के कार्यालय में संधारित किया जावेगा परंतु प्रोग्रामर एवं सहायक प्रोग्रामर का कार्य क्षेत्र पूरा जोन होगा।

3. संभाग (जोन) के अन्तर्गत आने वाले सभी प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालय अपनी समस्या/करेक्शन के पत्र सम्बंधित अपर परिवहन आयुक्त जोन को प्रेषित करेंगें जिनका निस्तारण अपर परिवहन आयुक्त, जोन के मार्गदर्शन में प्रोग्रामर व सहायक प्रोग्रामर द्वारा किया जायेगा।

4. प्रोग्रामर व सहायक प्रोग्रामर को कार्यालय कार्य, काउन्टर ड्यूटी अथवा डेटा एन्ट्री के कार्य से मुक्त रखा जायेगा। उनका कार्य पूरे जोन में डेटाबेस इत्यादि से संबंधित कार्यों का सुचारु संचालन करना होगा।

5. ऐसी समस्याएँ जिनका निस्तारण मुख्यालय स्तर से ही संभव है, पर अपर परिवहन आयुक्त जोन द्वारा अपनी टिप्पणी/अनुशंसा मुख्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावेगी।

6. 'वाहन' एवं 'सारथी' सॉफ्टवेयर के अन्तर्गत स्मार्ट कार्ड परियोजना, HSRP योजना VPN कनेक्शन की सदैव उपलब्धता सर्वर, कम्प्यूटर, नेटवर्किंग इत्यादि समस्त हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के रिपेयर व मेन्टेनेंस का कार्य प्रोग्रामर/सहायक प्रोग्रामर द्वारा सम्पादित किया जावेगा।

7. ऐसे प्रादेशिक परिवहन कार्यालय जो संभागीय मुख्यालयों पर स्थित है मे प्रोग्रामर के पद रिक्त होने की स्थिति मे पद स्थापित सहायक प्रोग्रामर अपर परिवहन आयुक्त जोन के अधीन उक्त कार्यो को सम्पादित करेंगे।

उक्त व्यवस्था वर्तमान में जयपुर एवं भरतपुर संभाग में प्रभावी होगा। शेष संभाग में प्रोग्रामर के पदस्थापन पर यह व्यवस्था प्रभावी होगा।

(राजेश्वर सिंह)
परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव

क्रमांकः एफ 25 (11) परि/कम्प्यू./12/ जयपुर, दिनांकः–

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव।
2. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
3. समस्त अपर परिवहन आयुक्त।
4. समस्त प्रादेशिक/अति.प्रादेशिक परिवहन अधिकारी।
5. समस्त जिला परिवहन अधिकारी।
6. रक्षित पत्रावली।

SYSTEM ANALYST
(DEPUTY DIRECTOR)
TRANSPORT DEPARTMENT
JAIPUR